"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 फरवरी 2006—फाल्गुन 3, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/30/2005/वाक/पांच (10).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त कथित नियम में, नियम चार के स्थान पर नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**अधिकरण का गठन एवं उसके कार्य :-** (1) अधिकरण में, राज्य शासन द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा एक सदस्य होगा.

(2) (क) अधिकरण का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, जो अधिकतम वेतनमान पर उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य है या रह चुका है या भारतीय प्रशासनिक सेवा का छत्तीसगढ़ संवर्ग से सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य हो जो छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण कर चुका हो,

(ख) सदस्य वह व्यक्ति होगा, जो मध्यप्रदेश या छत्तीसगढ़ में कम से कम तीन वर्ष के लिए अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर का पद धारित कर चुका हो.

(3) (क) अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेगा.

(ख) सदस्य पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या बांसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेगा.

(4) अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा और ऐसा इस्तीफ़ा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत दिनांक से प्रभावी होगा.

(5) राज्य शासन अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व समाप्त कर सकेगा, यदि अध्यक्ष या सदस्य:

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित हो गया हो; या

(ख) अपनी कार्य अवधि में कार्यालयीन कर्त्तव्यों के बाहर वेतनभोगी सेवा में कार्यरत हो; या,

(ग) राज्य शासन के मतानुसार, वह शारीरिक या दिमागी अयोग्यता के कारण से सतत कार्य करने के अक्षम हो; या,

(घ) नैतिक अनाचार के किसी अपराध में शामिल होने के लिए सिद्धदोष पाया गया हो.

(6) अधिकरण का मुख्यालय रायपुर में होगा.

(7) अधिकरण के कार्यों का सम्पादन अध्यक्ष/सदस्य में किसी एक के द्वारा या पूर्ण पीठ द्वारा किया जाएगा. आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष या अध्यक्ष एवं सदस्य से बनी पीठ द्वारा सुनी तथा निर्णित की जाएगी.

(8) यदि अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य का मत, किसी एक सदस्य द्वारा पूर्व में पारित निर्णय से भिन्न है, तो प्रकरण पूर्ण पीठ को निर्दिष्ट किया जाएगा.

(9) राज्य शासन की परामर्श से, अधिकरण अपनी प्रक्रिया एवं कामकाज के निपटारे को विनियमित करने के लिए विनियम, जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत हो, बनाएगा.

(10) अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन, भत्ते तथा अन्य निर्बन्धन एवं शर्तें, ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य शासन आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें परंतु उनकी पूर्व की सेवाओं के प्रतिकूल नहीं होगी.

(11) (क) राज्य शासन, अधिकरण को, उसके कार्य निर्वहन में सहायता के लिए, आवश्यक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की प्रकृति तथा संवर्ग सुनिश्चित करेगा और ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जैसा कि वह उचित समझे, उपलब्ध कराएगा.

(ख) अधिकरण के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण में करेंगे.

(ग) अधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की शर्तें, वैसी होंगी जैसा कि राज्य शासन निर्धारित करें."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2006

क्रमांक एफ-10/30/2005/वाक/पांच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/30/2005/वाक/पांच (10), दिनांक 22-2-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 22nd February 2006

NOTIFICATION

No. F-10/30/2005/CT/V (10).—In exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam, 1995, Namely :—

AMENDMENT

In the said rules,

for rule 4, the following rules shall be substituted, namely :—

"Constitution of the Tribunal and its functions :- (1) The Tribunal shall consist of a Chairman and one Member to be appointed by the State Government.

(2) (a) The Chairman of the Tribunal shall be the person who is or has been a member of Higher Judicial Service in super time scale or a serving or retired member of the Indian Administrative Service of the Chhattisgarh cadre, who has held the post of Principal Secretary or equivalent in the Government of Chhattisgarh at least for three years.

(b) The Member of the tribunal shall be the person who has held the post of Additional Commissioner Commercial Tax in Madhya Pradesh or Chhattisgarh at least for three years.

(3) (a) The Chairman shall hold office as such for a term of five years from the date on which he assumes charge or until he attains the age of sixty five years whichever is earlier.

(b) The Member shall hold office as such for a term of two years from the date on which he assumes charge or until he attains the age of sixty two years, whichever is earlier.

(4) The Chairman or Member of the Tribunal may at any time tender his resignation from the post and such resignation shall take effect from the date of acceptance by the State Government.

(5) The State Government may terminate before the expiry of the tenure the appointment of the Chairman or Member of the Tribunal, if the Chairman or the Member :

(a) is adjudged as an insolvent; or

(b) is engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) is in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(d) is convicted of an offence involving moral turpitude.

(6) The head quarters of the Tribunal shall be at Raipur.

(7) The functions of the Tribunal may be performed by any one of the Chairman/Member or the full bench. An appeal against the order of the Commissioner shall be heard an decided either by the Chairman or by a bench consisting of the Chairman and Member.

(8) In case Chairman/Member of the Tribunal has a difference of opinion about any earlier judgement passed by a single member then the case shall be referred to the full bench.

(9) The Tribunal shall, in consultation with State Government for the purpose of regulating its procedure and disposal of its business, make regulations consistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(10) The salaries, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Member of Tribunal shall be such as the State Government may, by order, specify but shall not be disadvantages from their previous service.

(11) (a) The State Government shall determine the nature and category of the officers and other employees required to assist the Tribunal in the discharge of its function and provide the Tribunal such officers and other employees as it may think fit.

(b) The officer and other employees of the Tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairman.

(c) The salaries and allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal shall be such as may be specified by the State Government."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.